न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 19 / 2025	2025 / 409	10.10.2025	07.05.2026

1– हज्जी पुत्री रहीमबक्स जाति मेव निवासी बाधोडा तहसील किशनगढबास हाल पत्नी सिरदार जाति मेव निवासी ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– नायब तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।
2– नेक,
3– रूकमुदीन पुत्रान रहीम बक्स जाति मेव निवासीयान बाधोडा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा नायब तहसीलदार किशनगढबास दिनाक 06.01.1983 नामान्तकरण संख्या 137 वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा को निरस्त किये जाने बाबत।

उपस्थित–
01. श्री लेखराम –वकील अपीलान्ट
02. श्री संदीप यादव –वकील रेस्पोडेन्टान

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 137 निर्णय दिनांक 06.01.1983 वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि नामान्तकरण में वर्णित आराजीयात अपीलान्ट के पिता रहीमबक्स पुत्र चांदमल जाति मेव निवासी बाधोडा तहसील किशनगढबास की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, जिनके स्वर्गवास होने के बाद विरासत का नामान्तकरण संख्या 137 वाके ग्राम बृसंगपुर तहत अदालत द्वारा विधि विरूद्व पारित किया गया है। मृतक रहीमबक्स पुत्र चांदमल का सजरा निम्नानुसार है:– हसन मौहम्मद (पुत्र), लेखू (पुत्र), रूकमुदीन (पुत्र), हुरली (बेवा), हज्जी (पुत्री) मृतक रहीम बक्स के अपीलान्ट विधिक वारिस पुत्री मौजुद थी, लेकिन नामान्तकरण संख्या 137 बाबत विरासत नामान्तकरण दर्ज करते वक्त पुत्री वारिस होने के तथ्य को छुपाकर गैरकानूनी तरीके से नामान्तकरण संख्या 137 दर्ज कर निर्णित किया गया है। अपीलान्ट के भाई हसन मौहम्मद जो लावल्द बिला औरत फोत हुआ है, जिसकी मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण संख्या 1558 वाके ग्राम बाधोडा तहसील किशनगढबास दर्ज व मंजूर हुआ है, जिसमें अपीलान्ट को हसन मौहम्मद की बहन होने के नाते विरासत का नामान्तकरण दर्ज किया है, जिससे स्पष्ट है, कि अपीलान्ट रहीमबक्स की विधिक वारिस पुत्री है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 06.01.1983 की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 01.10.2025 होने पर नकल हेतु आवेदन किया नकल प्राप्त कर कानूनी सलाह–मशवरा कर बिना देरी किये अपील पेश की गयी है, जिससे अपील हाजा साधारणतया अन्दर मियाद पेश है, चूँकि नामान्तकरण खिलाफ मौका व खिलाफ कानून होने से मियाद कोई मायना नही रखती है। अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार ग्रहण की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट वक्त बहस उपस्थित नही हुऐ।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 पर विचार किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय को दिनाक 08.10.2025 को पेश की गयी है। जो करीब 42 वर्ष 11 माह गुजर जाने के पश्चात अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है। अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 में अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 06.01.1983 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 01.10.2025 को होना दर्शाया गया है। हम अपीलान्ट की इस दलील से सहमत नही की तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 06.01.1983 की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व से ही जानकारी नही थी, पारित निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में थी, क्योकि अपीलान्ट परिवार की पुत्री है, जिसका अपने परिवार में समय–सयम पर आना–जाना होता रहा है, अपीलान्ट द्वारा यह अपील जानबुझ कर विलम्ब से पेश की गयी है। विलम्ब के मामलो में दिन–प्रतिदिन का ब्यौरा पेश किये जाने का प्रावधान है, किन्तु वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई वैधानिक साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किया है, जिसके आधार पर प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 के शपथ–पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वाश किये जाने योग्य नही है। अपील अपीलान्ट मियाद के बाहर पेश किये जाने के कारण मियाद के बिन्दू पर खारिज किया जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दू पर खारिज की जाती है, तहत अदालत नायब तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय नामान्तकरण संख्या 137 वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास निर्णय दिनाक 06.01.1983 यथावत रखा जाता है। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
कैथल (हरियाणा)